न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

सी0सी0ए0 वाद संख्या– 09/2018

राज्य बनाम विडियो शर्मा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीर 3.
19.09.2018	पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3576/गो0, दिनांक 05.09.2018 के द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी विडियो शर्मा पे0 मुनी लाल शर्मा, साकिन तेहाय थाना–पसराहा, जिला–खगड़िया को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 के तहत निरूद्ध करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उनके विरूद्ध कुल 05 (पाँच) अपराधिक मुकदमें उल्लेखित है, जो निम्नांकित है :– 1. गोगरी थाना कांड संख्या–73/2006 दिनांक 15.03.2006 धारा 395 भा0द0वि0। 2. परबत्ता (मड़ैया) थाना कांड संख्या–110/2007 दिनांक 23.05.2007 धारा–399/402/414 भा0द0वि0। 3. पसराहा कांड संख्या 33/2008, दिनांक 05.06.2008 धारा–392/307 भा0द0वि0। 4. पसराहा कांड संख्या 36/2008, दिनांक 07.06.2008 धारा–400 भा0द0वि0 एवं 25(1–बी)ए/26 शस्त्र अधिनियम। 5. पसराहा कांड संख्या 24/2018, दिनांक 01.032018 धारा–395 भा0द0वि0। ये भारतीय दण्ड विधान एवं आर्म्स एक्ट के धाराओं के तहत आरोपित है। ये जबसे जेल से छुटकर आए है तब से अपने पुराने काण्ड के गवाहों को तंग तबाह कर रहें है जिससे इलाके का माहौल भयपूर्ण है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और अपना पक्ष भी प्रस्तुत किये। राज्य की ओर से अपर विशेष लोक उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखते हुए अपराधकर्मी को निरूद्ध करना नितान्त आवश्यक बताया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी के माध्यम से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त विडियो शर्मा आज न्यायालय में उपस्थित हुए है। दुर्गापूजा/मुहर्रम/दीपावली/छठ ऐसे त्यौहार के मद्देनजर इलाके में लोक परिशांति कायम करने हेतु आदेश पारित करना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभिलेख के परिशीलन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त का अपराधिक इतिहास है एवं दुर्गापूजा /मुहर्रम /दीपावली /छठ ऐसे त्योहार दौरान इनके द्वारा लोक परिशांति को भंग अथवा प्रभावित किया जा सकता है। अतः मैं अनिरूद्व कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया आदेश देता हूँ कि अपराधकर्मी विडियो शर्मा दिनांक	

for Sml, 24/9/18

सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–सां 3.
	20.09.2018 से लेकर दिनांक 16.11.2018 तक प्रतिदिन 10:00 बजे चौथम थाना परिसर में थाना प्रभारी, चौथम के समक्ष सदेह उपस्थित होगें। आदेश से थानाध्यक्ष पसराहा/चौथम को तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी/खगड़िया को संसूचित कर दें। लेखापित एवं संशोधित [signature] 19/9/18 [signature] 19/9/18 जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया ज्ञापांक 1566/विधि, दिनांक 20-9-18 प्रतिलिपि:- विद्वान अभि०/मुख्य लोक अभि० [illegible] [illegible] थाना, पसराहा/ जिला खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक खगड़िया/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोगरी/ खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि:- थानाध्यक्ष पसराहा/ चौथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। [signature] 20/9 प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा, खगड़िया [illegible] 19/9/2018	